राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 92/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/139
दायर दिनांक– 04.10.2022
निर्णय दिनांक– 19.07.2023

उनवानी– नारायण बनाम सलीम

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी प्रार्थी अधि0
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रूपनगढ़ (अजमेर)

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 569, 570 कुल रकबा 1.5055 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा, भू–अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अनाधिकृत रूप से व्यवधान उत्पन्न करते है। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व उनके परिवारजन को उनके कब्जे–काश्त व अन्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को बहस के तथ्य मानने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व अन्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों विन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:58:31 IST
Reason: SelfAttested

19.7.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)